वकील पक्ष हुआ। वकील अप्रार्थी उपस्थित हुआ
रेस्पो. प्रा-पत्र 0.22 R 3-4 जा.डी का
जवाब पेश नहीं करना चाहता। अतः जवाब बंद
किया जाता है। प्रा. पत्र पर उभयपक्षीय बहस
सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11.03.22
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

11.3.22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित
अपील अपीलाण्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से
है कि ग्राम दुल्हापुरा तहसील महवा का नामान्तरकरण
संख्या 13 दिनांक 8.6.1959 को निरस्त करवाने बाबत
उक्त अपील पेश की गई है। अपीलाण्ट व रेस्पोन्डेन्ट
1 लगायत 5 के बाबा भीखाराम एवं पिता ब्रजमोहन
का देहान्त हो चुका है जिनके ये सभी वारिस है। हाल
खसरा नम्बर 394 रकबा 1.17 हैक्टेयर वाके ग्राम
दुल्हापुरा जिसमें अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा है तथा
रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 का 1/6 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट नं. 2 का 1/6
रेस्पोन्डेन्ट नं. 3 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा है इस प्रकार
भूमि पर काबिज हैं जो कि पिता के जीवन काल से
ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। लेकिन रेस्पोन्डेन्ट
नं. 1 ने उक्त भूमि का एक इन इश्यू बाईड
एवं शून्य व प्रभावहीन नामान्तरकरण गैर अपील
अपने हक में गुप्त रूप से तस्दीक करवा लिया।
उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु उक्त
अपील प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर
दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्ट्स को
नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2
उपस्थित हुए तथा 6 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय
कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। रेस्पोन्डेन्ट
संख्या 4 की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज.)

बनाम

मु. सं.

रिकार्ड पर लेने हेतु O-4, R-3,4 जो कि अपीलाण्ट सं 3 द्वारा प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र O-4, R-3,4 का जवाब प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस में अपीलाण्ट द्वारा के तथ्यों को ही दोहराया तथा वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि एवं अपीलाण्ट सं 2 की मृत्यु की रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की मृत्यु की सूचना दि 4.3.21 तीन वर्ष पश्चात दी गई थी। सूचना देरी से दिये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया है इसलिये अपील को अबेटमेन्ट मे खारिज किया जावे।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट सं. 2 की मृत्यु की सूचना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की मृत्यु हो जाने की सूचना दिनांक 4.3.2021 को न्यायालय को दी है जबकि मृत्यु क्रमशः दि 23.9.2017 एवं 9-12-2019 को हो चुकी थी। लगभग वर्ष 3 वर्ष 6 माह पश्चात देरी से सूचना दी गई जबकि सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार मृतक की सूचना 90 दिवस में न्यायालय में दी जानी चाहिये। अपीलाण्ट द्वारा सूचना देने में देरी का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अत: मृतक रेस्पोडेन्ट की सूचना निर्धारित अवधि में नहीं दिये जाने के कारण अपील अबेटमेन्ट में खारिज किये जाने योग्य है।